राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(Email:DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

कार्यकारी समिति, (Executive Committee) की प्रथम बैठक का कार्यवाही विवरण:

दिनांक 24.02.2020 को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की अध्यक्षता में उत्तरी–पश्चिमी भवन स्थित ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष में कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारीगण उपस्थित हुए:–

1.	श्री नीरज के. पवन, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
2.	श्री पी.सी. किशन, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना	सदस्य
3.	श्रीमती आरूषी मलिक, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायतीराज विभाग	सदस्य
4.	श्री नन्नूमल पहाडिया, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
5.	श्रीमती ऋतु गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग	विशेष आमंत्रित सदस्य
6.	श्री रामावतार शर्मा, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी	सदस्य सचिव
7.	श्री सुरेश गुप्ता, अति. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग	प्रतिनिधि
8.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, लेखाधिकारी, (SSAAT)	प्रतिनिधि

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की बैठक में सर्वप्रथम निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा सोसायटी के बारे में परिचयात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के उपरान्त अब तक के किया कलापों का विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 में लिये गये निर्णयों की नवीनतम स्थिति पर विचार विमर्श के उपरान्त बैठक के विचारणीय बिन्दुओं पर गम्भीर विचार मन्थन किया गया और कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गये :–

1.1 सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती ऋतु गुप्ता को कार्यकारी समिति में विशेष आमन्त्रित सदस्य रखने का निर्णय किया गया और उन्हें आमन्त्रित कर बैठक में सम्मिलित किया गया।

1.2 **सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के कार्य विधि नियमावली (Rules of Business) का अनुमोदन –**

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के कार्य विधि नियमावली (Rules of Business) के प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरान्त सोसायटी की कार्य विधि नियमावली (Rules of Business) को यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया।

1.3 <u>सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के कार्य संचालन हेतु वित्तीय शक्तियाँ (Schedule of Power-SOP) का अनुमोदन–</u>

सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सोसायटी के कार्य संचालन हेतु Schedule of Powers (SOP) के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। इस विषय में वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग और विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायतीराज विभाग द्वारा भी अवगत कराया गया कि सोसायटी द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार प्रदत्त किये जाने प्रस्तावित किये गये है।

विस्तृत विचार विमर्श उपपरान्त सोसायटी के प्रस्ताव Schedule of Powers (SOP) का यथा प्रस्तावित अनुमोदन किया गया।

1.4 <u>सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ और अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन एवं भर्ती विनियमों (Regulations) का अनुमोदन :–</u>

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के लिए सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति (SRP), जिला संसाधन व्यक्ति (DRP), ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP) एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP) के चयन एवं भर्ती सम्बन्धी विनियमों पर गम्भीर विचार मन्थन किया गया और उक्त संविदा कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय किये गये:–

(i) सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किये गये ड्राफ्ट नियमों का नाम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के भर्ती विनियम 2020 रखा जावे। इन विनियमों के अन्तर्गत नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) होंगे।

(ii) चूंकि सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में उक्त पदों पर चयन प्रकिया सम्पादित करने की विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है। अतः विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय किया गया कि चयन प्रकिया सम्पादन हेतु किसी राजकीय संस्था यथा अरावली, राईसम, (जो नियुक्ति प्रकिया सम्पादन हेतु अधिकृत हो) अथवा अन्य कोई योग्य संस्था को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीधे (बिना निविदा के) अथवा खुली निविदा प्रकिया अपनाकर उक्त कार्य किया जावे।

(iii) इन प्रस्तावों में उपरोक्त संविदा कार्मिकों के चयन/भर्ती हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार लिये जाने का प्रस्ताव के स्थान पर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार में प्रचलित नियमों के परिप्रेक्ष्य में साक्षात्कार किये जाने की व्यवस्था किया जाना उचित नहीं है। अतः चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा का आयोजन ही किया जाना चाहिए। लिखित परीक्षा भी सम्बन्धित पद हेतु आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही की जानी अपेक्षित है अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से 3 गुणा से कम) कम होने पर उनकी

योग्यता सम्बन्धी मापदण्डों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदो के विरूद्ध 1.5 गुणा पात्र आवेदकों की वरीयता सूची (Merit list) चयन हेतु परीक्षा/चयन प्रकिया हेतु अधिकृत संस्था से प्राप्त की जावे।

(iv) सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के संविदा कर्मियों के लिए पात्रता के मापदण्ड (यथा शेक्षणिक, तकनीकी, आयु एवं अनुभव आदि) पर विस्तृत विचार विमर्श करके निम्न संशोधनों के साथ उक्त प्रस्ताव अनुमोदित किये गये :–

(क) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP) के लिए प्रस्तावित प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता में **"इसमें डिप्लोमा/ डिग्रीधारी को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी"** को हटाया जावें।

(ख) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP) के कार्य एवं दायित्वों के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए इनके लिए प्रस्तावित शैक्षणिक योग्यता (महिला एवं पुरूष दोनों के लिए) कक्षा 10+2 उत्तीर्ण के स्थान पर स्नातक (Graduate) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण रखा जावे।

(ग) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRP) के लिए राज्य सरकार में प्रचलित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इनके चयन हेतु प्रस्तावित आयु सीमा 21 से 65 वर्ष के स्थान पर 21 से 64 वर्ष रखी जावे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BRP) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRP) से अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक (या राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार) ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराया जावे।

(v) विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय किया गया कि उक्त संविदा कार्मिकों के चयन में राजस्थान सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की नियमानुसार पालना की जावे।

(iv) विचार विमर्श उपरान्त यह भी निर्णय किया गया कि चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष के लिए अनुबंध किया जावे एवं अनुबंध की अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावे वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए इच्छुक एवं पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जावे। इस प्रकार पूर्व से कार्यरत नवीन अनुबंध हेतु उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों से अधिक कार्मिकों की आवश्यकता होने की स्थिति में केवल अतिरिक्त संविदा कार्मिकों हेतु उपयुक्त चयन प्रकिया अपनाई जावेगीं।

(v) चयन प्रकिया में सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क की राशि रूपये 100/– अथवा आंकलन कर ऐसी उचित राशि रखी जावे, जो उक्त कार्य के व्यय की प्रति पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, इसे लाभार्जन का जरिया नहीं बनाया जावे।

(vi) सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति वार्षिक संविदा के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुबंध राशि क्रमशः रू.40,000/– रू.20,000/– एवं रू.20,000/– देय होगी। इन संसाधन व्यक्तियों से वार्षिक अनुबन्ध किया जावेगा।

(vii) ब्लाक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति चयन उपरांत पात्रता सूचि में से सूचीबद्व (List of Empanelled Resource Persons) रखे जावेंगे, जिनकी आवश्यकतानुसार दैनिक मानदेय भुगतान के आधार पर इच्छुक लोगों को सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु लगाया जा सकेगा।

1.5 सोसायटी के कार्य संचालन हेतु निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी राजस्थान को विभागाध्यक्ष, उप निदेशक को कार्यालयाध्यक्ष (उप निदेशक के पदस्थापन होने तक यह कार्य लेखाधिकारी द्वारा सम्पादित किया जावेगा) एवं एक सहायक लेखाधिकारी–प्रथम को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

1.6 सोसायटी के लिए उपरोक्तानुसार अनुमोदित नियमों/विनियमों के अनुमोदन हेतु प्रकरण वित्त विभाग को भिजवाने बाबत चर्चा उपरांत यह निर्णय किया गया कि प्रकरण वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सोसायटी के प्रयोजनार्थ शासी निकाय और कार्यकारी समिति निर्णय लेने में सक्षम हैं।

इसके उपरान्त बैठक श्रीमान अध्यक्ष महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT
सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT

कमांक– 61 (3) SSAAT/EC Meeting/2019/732-21 दिनांक– 2/3/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT
2. निजी सचिव, श्रीमान् अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, SSAAT,
3. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग,
4. निजी सचिव, शासन सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग,
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा,
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक पंचायती राज विभाग,
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, SSAAT,
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
9. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग
10. निदेशक, SSAAT, सह सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति SSAAT

2/3/2020
निदेशक, SSAAT